



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-141
31/11/24

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2024/डी- 321

दिनांक 30-7-2024

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्र श्री नोला राम कुमावत	श्री चौथमल पुत्र श्री झूथाराम	B-178	100.00	खोरामीणा	श्री गोविन्द नगर-11बी	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदक द्वारा उक्त के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2024/डी-252

दिनांक 30-01-2024

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	124-पूर्वी हिस्सा	नन्द विहार	श्री राजेश जैन पुत्र श्री रामधन जैन	श्रीमती सजन देवी पत्नी श्री रामधन	लीजधारिका का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र, रजिस्टर्ड वसीयत नामा आदि।
2	124-पश्चिमी हिस्सा	नन्द विहार	श्री राजेश जैन पुत्र श्री रामधन जैन	श्रीमती सजन देवी पत्नी श्री रामधन	लीजधारिका का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र, रजिस्टर्ड वसीयत नामा आदि।
3	5ए	लखनपुरी	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व. श्री सोहन लाल खण्डेलवाल	श्री ब्रजेन्द्र मोहन पालीवाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र पालीवाल	आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, बिजली का बिल आदि।
4	45	सिद्धार्थ नगर-जी	श्री मान सिंह पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह	श्रीमती सुषमा माहेश्वरी पत्नी श्री डॉ. सी.एम. माहेश्वरी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2023/डी- 168

दिनांक 24/11/24

प्रारूप 13
(नियम 13(2)देखिए)
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत
लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण प्रियंका कॉलोनी विकास समिति की योजना प्रियंका कॉलोनी के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	खातेदार
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1428	0.37	1.गोपीदेवी पत्नी श्री रामेश्वर हिस्सा 3/4 जाति-जाट नि. शिवाकॉलोनी सवाईमाधोपुर रेल्वेलाईन के पास, सांगानेर, 2.गोवन्दि तिवाड़ी पुत्र राजमल तिवाड़ी हिस्सा-36/925 जाति- जाट नि. मलारना डुंगर जिला सवाई माधोपुर 3.प्रभातीलाल पत्नि कन्हैयालाल हिस्सा-हिस्सा- 781/3700 जाति- कुमावत नि. मलारना डुंगर जिला सवाई माधोपुर
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1491	0.29	रामअवतार पुत्र हरिनारायण हिस्सा-पूर्ण जाति-गुर्जर सा. देह खातेदार।
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1419	0.17	1.ओमप्रकाश पुत्र हरिनारायण हिस्सा- 63/68 जाति-गुर्जर सा. देह खातेदार 2.विष्णु प्रकाश शर्मा पुत्र रंगलालहिस्सा-5/68 जाति-गुर्जर सा. मौजमाबाद तह.दूदू खातेदार।

ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1421	0.01	भागचन्द पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा-पूर्ण जाति-गुर्जर सा. देह खातेदार।
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1420	0.10	ओमप्रकाश पुत्र हरिनारायण हिस्सा- पूर्ण जाति-गुर्जर सा. देह खातेदार
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1422	0.37	1.प्रेम देवी पत्नि राम कल्याण हिस्सा- 51/1850 जाति- छीपा (छीपी) वार्ड नं. 22 साध मोहल्ला सांगानेर खातेदार। 2.भागचन्द पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा-661/740 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार। 3.मूलीदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद हिस्सा-293/3700 जाति-अहीर (यादव) नि. गोहन्दी तह. फागी खातेदार,
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	1427	0.25	प्रभुनारायण पुत्र गंगासहाय हिस्सा- पूर्ण जाति-कुमावत सा. देह खातेदार,
ग्राम-सांगानेर, तहसील-सांगानेर	कुल किता-07	कुल-1.56 है0	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यवसित कर भूमि को पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 24/11/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।


प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103178

दिनांक: 31/01/2024

लोक सूचना

बालाजी दयालपुरा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर डॉ. गोपाल चौधरी पुत्र श्री पेमाराम चौधरी जाति जाट निवासी-डी-64, 6डी, इन्जिनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बगरूखुर्द, सांगानेर (जयपुर)	बालाजी दयालपुरा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर डॉ. गोपाल चौधरी पुत्र श्री पेमाराम चौधरी जाति जाट निवासी-डी-64, 6डी, इन्जिनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।	352	2300	0.23
			353	1600	0.16
			354	4500	0.45
			356	200	0.02
			357	3000	0.30
			358	1600	0.16
			361	2200	0.22
			362	2200	0.22
				कुल	1.76


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 31-01-2024 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना


निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हनुमान सहाय, श्रवण कुमार, लक्ष्मीनारायण, रामजीलाल, भागीरथ	श्री रघुनाथ पुत्र भीमा	10/OAC/522	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नाम हस्तान्तरण हेतु	पंजिकृत हक त्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2	हनुमान सहाय, श्रवण कुमार, लक्ष्मीनारायण, रामजीलाल, भागीरथ	श्री रघुनाथ पुत्र भीमा	10/आईएडी/ 18	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नाम हस्तान्तरण हेतु	पंजिकृत हक त्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
3	श्री हनुमान सहाय, श्रवण कुमार, लक्ष्मीनारायण, रामजीलाल, भागीरथ	श्री रघुनाथ पुत्र भीमा	10/ओएएफ/435	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नाम हस्तान्तरण हेतु	पंजिकृत हक त्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
4	हनुमान सहाय, श्रवण कुमार, लक्ष्मीनारायण, रामजीलाल, भागीरथ	श्री रघुनाथ पुत्र भीमा	10/OAE/405	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नाम हस्तान्तरण हेतु	पंजिकृत हक त्याग एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 10/2024/डी-124
दिनांक: 03/11/24


उपायुक्त पायुक्त (जि.स.स. 10) अधिकारी
जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

आम सूचना

आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुरेन्द्र कुमार भास्कर व नरेन्द्र भास्कर पुत्रान् श्री रामदास भास्कर	हेमराज कुमावत नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री शंकरलाल	61	163.33	अमृतपुरी गृनिसस	शिव कॉलोनी विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने हेतु	पंजीकृत उपहार पत्र के सम्बन्ध में।
2.	बाबूलाल सैनी पुत्र महोदव प्रसाद	बुद्ध सिंह पुत्र श्री भैरव सिंह	43बी	128.33	खुदाबाडी सोनार गृनिसस	भवानी नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं है।

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी-246

दिनांक:- 29/11/24

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2024/डी- 287

दिनांक 25-7-2024

:-आम सूचना:-

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग./व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुनील कुमार कालानी पुत्र श्री रतन कुमार कालानी	श्री सुनील कुमार कालानी पुत्र श्री रतन कुमार कालानी	76	111.11	अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति	प्रकाश एनक्लेव	फ्री होल्ड	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं है।
2	श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राजाराम शर्मा	श्री मनन पुत्र श्री मुकेश	78	111.11	अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति	प्रकाश एनक्लेव	फ्री होल्ड	सोसाईटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि।
3	श्रीमती राकेश कालानी पत्नी श्री सुनील कुमार कालानी	श्रीमती राकेश कालानी पत्नी श्री सुनील कुमार कालानी	75	111.11	अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति	प्रकाश एनक्लेव	फ्री होल्ड	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं है।


आवेदको द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2024/डी-156

दिनांक:- 29/1/24

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	डी-357	120.00 वर्गमीटर	श्रीमती शीला सोलंकी पत्नी श्री जयकिशन सोलंकी	जविप्रा	कल्पना नगर	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण /लीजडीड जारी करने बाबत।
2.	एस-9	40.50 वर्गमीटर	श्री राधेश्याम, गोपाललाल, बाबूलाल पुत्र स्व. श्री प्रताप एवं रामस्वरूप ईश्वर लाल बागड़ा, अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री बिरदी चन्द	जविप्रा	अनन्तपुरा आवासीय योजना	पंजीकृत हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
3	ई-214	180.00 वर्गमीटर	श्री मुरारी लाल गुप्ता पुत्र श्री राधा मोहन गुप्ता	जविप्रा	कल्पना नगर	अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
4	9	166.6 वर्गगज	श्री गीता देवी पत्नी स्व. श्री संतोष कुमार सिद्ध	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति	अंजनी नगर-ए	पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।


उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी-52

दिनांक 31/1/24

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	दुकान/भूखण्ड सं. व क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खोदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री नारायण स्वरूप शर्मा व पुरुषोत्तम शर्मा पुत्रान गुलाब चन्द शर्मा	श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री हीरा जी	ई-446	जविप्रा	लालकोठी योजना	लीजडीड हेतु	स्वघोषणा पत्र, सजरा शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, आधार कार्डों, पूर्व में जारी लीजडीड व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।